



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

File No. 18/CEO/SVEEP/DLA Question /2022/ 8027/8029

Dated 25/3/22

सेवा में


श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:-दिनांक 28.03.2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 142 श्री मोहन सिंह बिष्ट,
द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या सं.एफ.11 (बी-1)VI/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./3177 दिनांक
17.03.2022 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर की 100
प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी
जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्त

भवदीय

25/03/2022
(ललित मिस्तल)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव,माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए-विंग,
8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी-दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के
निजी सहायक



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 142


दिनांक:- 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि चुनाव से पहले परिसीमन करते समय सीमांकन का ध्यान नहीं दिया जाता है;	चुनाव से पहले परिसीमन का कार्य नहीं किया जाता है। परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा वर्ष 2008 में विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था, उसके आधार पर अब तक चुनाव कराए जा रहे हैं।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में करावल नगर रोड के अपोजिट चंद्रपुरी चांदबाग को भी जोड़ा गया है;	चाँदबाग करावल नगर क्षेत्र में काफी समय पहले से ही जुड़ा हुआ है।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर और मुस्तफाबाद में बाकियाबाद की जमीन को दो भागों में बांटा गया है;	जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्राप्त सूचना अनुसार यह सत्य नहीं है।
(घ) यदि हां, तो ब्रिजपुरी और चंद्रपुरी चांदबाग को अलग-अलग क्षेत्रों में जोड़ने के क्या कारण हैं;	लागू नहीं हैं।
(ङ) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा इस गलती को सुधारा जायेगा;	लागू नहीं हैं।
(च) यदि हां, तो कब तक; और	लागू नहीं हैं।
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	लागू नहीं हैं।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय

(सलिल मिश्र)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)